न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

प्रकरण संख्याः- 102/2020 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00043), पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

दिनेशचन्द पुत्र श्री फतेहचन्द जाति वैश्य निवासी आदर्श कॉलोनी मेला मैदान कस्बा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादी

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र फतेहचन्द जाति वैश्य नि0पुरानी अनाजमण्डी शहीद स्थल के पास कस्बा डीग -मृतक,

1/1. कपिल कुमार पुत्र स्व. श्री सुरेशचन्द -मृतक
1/1/1. रेनू बंसल पत्नी स्व.कपिल कुमार बंसल
1/1/2. झलक अग्रवाल पुत्री कपिल कुमार बंसल
1/1/3. युवांक अग्रवाल पुत्री कपिल कुमार बंसल
1/2. शकुन्तला पत्नी स्व. श्री सुरेशचन्द

जातियान वैश्य नि0 पुरानी अनाज मण्डी शहीद स्थल के पास कस्बा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

2. नरेशचन्द पुत्र फतेहचन्द -मृतक
2/1. अंजना पत्नी स्व. श्री नरेशचन्द
2/2. प्रवीण बंसल पुत्र स्व. श्री नरेशचन्द
2/3. सपना पुत्री स्व. श्री नरेशचन्द
2/4. रेखा पुत्री स्व. श्री नरेशचन्द
3. हरेशचन्द पुत्र फतेहचन्द
4. राकेश कुमार पुत्र फतेहचन्द

जातियान वैश्य नि0 पुरानी अनाज मण्डी शहीद स्थल के पास कस्बा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

5. रमेशचन्द पुत्र फतेहचन्द जाति वैश्य निवासी नई सडक कस्बा डीग तहसील व जिला डीग
6. प्रकाशचन्द पुत्र फतेहचन्द जाति वैश्य निवासी आदर्श कॉलोनी मेला मैदान कस्बा डीग तहसील व जिला डीग

-असल प्रति0

7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीग

-फॉरमल प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 09.06.2025

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 4187/0.13, वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित है। वादी एवं असल प्रतिवादीगण सगे भाई है। वादी एवं उनका पिता फतेहचन्द बंसल द्वारा ग्राम बहज में पूर्व में सन 1970 के आस-पास दिनेश ब्रिक्स फैक्ट्री के नाम से ईंट बनाने का भट्टा स्थापित किया था

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जिसके लिए वादी ने अपनी आय से विवादित खसरा नम्बर 4187/0.13 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.06.1982 को विक्रेता खातेदार नानगा पुत्र बीधा से उक्त आराजी का गत खसरा नम्बर 1389/0-16 विस्वा खरीद किया था और खरीद के बाद से वादी उक्त आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त कर रहा तथा लगातार काबिज काश्त है। उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी ने उक्त आराजी का बयनामा अपने पिता के पक्ष में विक्रेता नानगा पुत्र बीधा से तहरीर एवं तस्दीक करा दिया। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता फतेहचन्द बंसल की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी विरासतन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का एक बंटवारानामा दिनांक 24.10.2017 को तहरीर हुआ जिसमें विवादित आराजी वादी के हिस्से में दिये जाने में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति दर्ज की तथा अपना कोई हक व हिस्सा विवादित आराजी खसरा नम्बर 4187/0.13 में नहीं माना है। विवादित आराजी पर बाद क्रय वादी ही लगातार काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सम्मिलित रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम वाहिस्सा बरावर 1/7, 1/7 दर्ज चली आ रही है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 4187/0.13 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित आराजी पर सम्पूर्ण का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी की ओर से दिनांक 18.05.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 जा.दी.पेश किया गया। जिसे दिनांक 21.12.2021 को स्वीकार किया गया। दिनांक 18.02.2022 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 30.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की प्रोपर तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पेश होने पर सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 की मृत्यु दिनांक 17.05.2021 को तथा प्रतिवादी संख्या 02 नरेशचन्द की मृत्यु दिनांक 02.01.2023को हुई। प्रार्थना आदेश 22 नियम 4 जा.दी.को स्वीकार किया गया तथा दिनांक 08.05.2025 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी दिनेशचन्द बंसल के बयान पंजीबद्व किये जाकर साक्ष्य वादी बंद की जाकर प्रकरण को वास्ते बहस हेतु रखा गया। दिनांक 28.05.2025 नियत पेशी पर वकील वादी ने रिकार्ड/साक्ष्य पेश किये जाने हेतु समय चाहा गया। वकील पक्षकारान के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/1/1 से 1/1/3 व 1/2 व 2/1 से 2/4 व 3 से 6 की ओर से इकबालदावा पेश किया गया।

दिनांक 05.06.2025 को वकील वादी की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने वादीगण के वादपत्र,प्रतिवादीगण संख्या 1/1/1 से 1/1/3 व 1/2 व 2/1 से 2/4 व 3 से 6 के इकबाल दावे,पीडब्ल्यू-1 दिनेशचन्द बंसल के बयान,

प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 ग्राम बहज प्रथम खसरा नम्बर 4187/0.13 हैक्टे0 वादी हिस्सा 1/7 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 हिस्सा बरावर 1/7 के खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-2, पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 24.10.2017 का असल नॉटराईज्ड जो फतेहचन्द निवासी कस्बा डीग के सन 1988 में मृतक हो जाने पर उसके वारिसान सुरेश कुमार, प्रकाशचन्द, दिनेशचन्द, नरेशचन्द, हरेशचन्द, रमेशचन्द, राकेशकुमार पुत्रगण 7 एवं श्रीमति पुष्पलता,मुन्नी,हेमलता पुत्रियान तीन के मध्य फतेहचन्द बंसल की अचल सम्पत्तियॉं,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जायदाद, मकानियत,दुकान, ईट भट्टा के परस्पर सहमति से बंटवारे के सम्बन्ध में है। जिसकी मद संख्या 11 में खसरा नम्बर 4187/0.13 हैक्टेयर ग्राम बहज प्रथम को आपसी सहमति से वादी दिनेशचन्द पुत्र फतेहचन्द को न्यारानूर किया है। वही अकेले इसके काबिज खातेदार काश्तकार मालिक है। अन्य किसी भाई का कोई सरोकार नहीं है। आवश्यकता पडने पर सभी 6 भाई व तीन बहिनें दिनेशचन्द के हक में रिलीजडीड कराने को तैयार है। लिखा हुआ है उक्त पारिवारिक बंटवारानामा 500 रूपये के स्टाम्प पर है एवं समस्त भाई बहिनों के इस पर हस्ताक्षर है। गवाह के रूप में राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल एवं मुनेश गुप्ता पुत्र चन्द्रमोहन गुप्ता के हस्ताक्षर है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 12 नियम 6 में प्रावधान है कि स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय (1) जहां अभिवचन में यहां अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी है वहीं न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारणा की प्रतीक्षा किये बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जब कभी उप नियम (1) के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाऐगी और डिक्री में वही तारीख दी जाऐगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया था।

उक्त वाद के प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में इकबाल दावा पेश कर चुके है एवं अन्य साक्ष्य में प्रदर्श-2 पारिवारिक बंटवारानामा दिनांक 24.10.2017 की फौटो प्रति है। प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2076-2079 में वादी हिस्सा 1/7 एवं प्रतिवादीगण हिस्सा बराबर 1/7 खसरा नम्बर 4187/0.13 के खातेदार दर्ज है।

हम मुताविक इकबालदावा दावा मुताविक वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

वादी का दावा अन्तर्गत धारा 88-89, आर.टी.एक्ट दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर दावा वादी विरूद्व असल प्रतिवादी स्वत्व घोषणा स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 4187/0.13 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित सम्पूर्ण का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के पक्ष में जो इन्द्राज दर्ज हो रहे है को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रहन के इन्द्राज यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner